

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-154 / 2013

संस्थित दिनांक-22.02.2013

फाइलिंग क्र.234503000152013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

मनोज कठौते पिता नन्दा कठौते, उम्र-45 वर्ष, जाति कोल,

निवासी-बंजर कालोनी बैहर, थाना बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-19 / 12 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-16.12.2012 को रात्रि 9:30 बजे ऐरीगेशन कॉलोनी बैहर, थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत फरियादी सुजाता को नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी सुजाता के पति होते हुए विवाह के पश्चात् से फरियादी सुजाता को मारपीट कर क्रूरता कारित की, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुजाता कठौते ने दिनांक-17.12.2012 को थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह बंजर कॉलोनी रहती है। लगभग 15 वर्ष पूर्व उसका विवाह आरोपी मनोज कठौते से हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ अच्छे से रहती थी, लेकिन उसके पति ने चार वर्ष पूर्व उसे संतान न होने की बात को लेकर विवाद किया था। घरेलु विवाद होने से उसने यह बात किसी को नहीं बताई, परंतु दिनांक-16.12.2012 को रात्रि 9:00 बजे उसका पति शराब पीकर आया और संतानहीनता की बात को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले अमरसिंह और सुशीला को यह बात बताई एवं अपने माता-पिता को भी फोन से सूचना दी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-191 / 12, धारा-498ए 323, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324, 498ए, 506बी के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी सुजाता ने आरोपी मनोज कठौते से राजीनामा कर लिया, जिसमें शमनीय प्रकृति की धारा-506बी के अपराध में आरोपी को दोषमुक्त किया गया है, परंतु शेष धाराएं 324 एवं 498ए भा.द.वि. शमनीय प्रकृति की धारा न होने से विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-16.12.2012 को रात्रि 9:30 बजे ऐरीकेशन कॉलोनी बैहर, थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत फरियादी सुजाता को नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुजाता के पति होते हुए विवाह के पश्चात् से फरियादी सुजाता को मारपीट कर कूरता कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 एवं 2 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुजाता कठौते अ.सा.1 ने कहा है कि आरोपी उसका पति है, जिससे उसका विवाह लगभग 17 वर्ष पूर्व हुआ था। घटना दिनांक-16.12.2012 की रात्रि 9:00 बजे की है। आरोपी शराब पीकर घर आया और कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने घर जाओ, क्योंकि उसे संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। आरोपी संतान न होने की बात को लेकर उसे ताने देकर परेशान करता था और मारपीट भी करता था। आरोपी ने घटना दिनांक को उसके साथ मारपीट कि और उसका गला दबाने लगा, तब वह भागकर पड़ोस में रहने वाले अमरसिंह के घर गई और दूरभाष से अपने माता-पिता को जानकारी दी। उसके माता-पिता के आने के बाद थाना बैहर में

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख कराई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस घटना के पूर्व उसने आरोपी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट लेख नहीं कराई है। साक्षी ने यह भी कहा है कि संतान न होने के विषय में उसने तथा उसके पति दोनों ने बालाघाट और नागपुर में ईलाज करवाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी को ताना मारती थी और मायके जाने की धमकी देती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने जबलपुर में नर्स पाठ्यक्रम वर्ष 2010 में प्रवेश लिया था और डेढ़ वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि 16 दिसम्बर को हुए विवाद के पूर्व उसने अपने पड़ोस के लोगों को उसका तथा उसके पति के विवाद के विषय में कुछ नहीं बताया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि वह अपने मायके जाकर नर्स की नौकरी करना चाहती थी, इस बात को लेकर उसका घटना दिनांक को आरोपी से विवाद हुआ था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक को वह आरोपी के साथ मारपीट कर रही थी और झूमाझटकी में उसे आंख के नीचे, गले पर चोट आई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने अपने माता-पिता के साथ मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

7— रामबाई अ.सा.2 ने कहा है कि आरोपी मनोज उसका दामाद है तथा फरियादी सुजाता उसकी पुत्री है। आरोपी से उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 1996 में हुआ था। विवाह के बाद 2-4 साल तक आरोपी ने उसकी पुत्री को ठीक से रखा। इसके बाद वह उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगा। आरोपी उसकी पुत्री को बच्चे न होने की वजह से मारपीट करता था। घटना दिनांक को आरोपी का उसकी पुत्री के साथ मारपीट हुई थी, तब उसकी पुत्री ने उसे फोन पर घटना की सूचना दी थी। आरोपी ने उसकी पुत्री का गला दबाया था और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। वह रात के करीब 12:30 बजे बैहर आया था और अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चला गया था। उसके पश्चात् पुलिस थाना बैहर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना की रिपोर्ट से पूर्व आरोपी के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बच्चे न होने की पर आरोपी ने उसकी पुत्री का ईलाज करवाया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि संतान न होने की बात को लेकर उसकी पुत्री आरोपी से विवाद करती थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि नर्स का कोर्स करने के लिए उसकी पुत्री जबलपुर चली गई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से

साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ मारपीट नहीं करता था और उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

8— अभियोजन साक्षी भोजराज अ.सा.3 ने कहा है कि आरोपी मनोज कठौते उसका दामाद है। फरियादी सुजाता उसकी पुत्री है। आरोपी से उसकी पुत्री का विवाह लगभग 17 वर्ष पूर्व हुआ था और बच्चे न होने के कारण उसकी पुत्री तथा दामाद का वाद-विवाद हुआ था। दिनांक-16.12.2012 को उसकी पुत्री ने उसे सूचित किया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। उसकी पुत्री ने यह भी बताया था कि आरोपी ने उसका गला दबाया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उससे विवाह का कार्ड और फोटो जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श प्रदर्श पी-3 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस घटना के पूर्व आरोपी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी पुत्री को संतान न होने के विषय में उसका ईलाज करवाया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसकी पुत्री अवैध संबंध होने की बात को लेकर आरोपी से झगड़ा करती थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक-16.12.2012 को उसकी पुत्री ने उसे फोन नहीं किया था और न ही उसके साथ मारपीट की थी।

9— अभियोजन साक्षी आर.के.सिंह ठाकुर अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.12.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी सुजाता की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी मनोज कठौते के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-191/12, अंतर्गत धारा-498ए, 323, 506 के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-17.12.2012 को फरियादी सुजाता की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्शपी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी सुजाता, साक्षी रामबाई, भोजराम, अमिता एवं अमरसिंह, सुशीला के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने भोजराम कठौते से फरियादी सुजाता एवं आरोपी मनोज कठौते के विवाह का कार्ड एवं शादी की दो फोटो साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाहों के समक्ष आरोपी मनोज कठौते को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे। बचाव पक्ष

के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने मौकानक्शा फरियादी के बताए अनुसार नहीं बनाया था।

10— अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमरे अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.12.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बैहर से आरक्षक कमलेश क्रमांक-283 द्वारा आहत सुजाता पति मनोज कठौते को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने आहत के चेहरे पर दो चोटें पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की थी। आहत को आई एक चोट मानव नाखून से आना तथा दूसरी चोट मुक्के से आ सकती थी, जो उसके परीक्षण करने के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आहत सुजाता ने उसे अंदरूनी चोट अथवा दर्द के विषय में नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि यदि दो व्यक्ति आपस में विवाद करते हैं तो एक व्यक्ति के नाखून से दूसरे व्यक्ति को आहत को आई चोट की तरह चोट आ सकती है।

11— अभियोजन साक्षी अमरसिंह अ.सा.5 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी तथा फरियादी को पहचानता है, जो आपस में पति-पत्नी है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लेख नहीं किये हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक-16.12.2012 को रात्रि 9:30 बजे फरियादी सुजाता रोती हुई उसके घर आई थी और बताया था कि आरोपी शराब पीकर आया है और संतानहीनता की बात को लेकर उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी की प्रताड़ना के कारण फरियादी सुजाता भागकर उसके घर आई थी और वहां से अपने माता-पिता को फोन पर घटना के बारे में बताया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-5 का कथन दिया था।

12— अभियोजन साक्षी सुशीला मर्सकोले अ.सा.6 ने कहा है कि वह आरोपी एवं आहत को जानती है। घटना के विषय में फरियादी सुजाता अ.सा.1 ने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी और पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी एवं फरियादी उसके पड़ोस में रहते थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक-16.12.2012 को आहत सुजाता उसके घर रोते हुए आई थी और उसने बताया था कि आरोपी संतानहीनता की बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर रहा था

और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आहत सुजाता ने उसके मोबाईल से इस बात की सूचना अपने परिवार को दी थी।

13— प्रकरण में बचाव साक्षी के रूप में आरोपी ने न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया था। साक्षी मनोज कठौते ब.सा.1 ने कहा है कि फरियादी सुजाता उसकी पत्नी है। उसने दिनांक-14.03.2016 को राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। उसका फरियादी सुजाता से दिनांक-11.01.2016 को विवाह-विच्छेद हो गया था। इसके अतिरिक्त फरियादी ने उसके विरुद्ध भरण-पोषण एवं घरेलु हिंसा का प्रकरण संस्थित किया था, जिस प्रकरण में उसका राजीनामा हो गया था। इस संबंध में उसने राजीनामा के संबंध में आदेश दिनांक-27.02.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी-1 प्रस्तुत की है। घरेलु हिंसा के प्रकरण के संबंध में आदेशपत्रिका दिनांक-09.02.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी-2 तथा तलाकनामा प्रदर्श डी-3 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। दिनांक-16.12.2012 को उसके निवास पर रात्रि 9:00 बजे उसकी पत्नी सुजाता ने उससे विवाद किया था और अवैध संबंध की बात को लेकर झूमाझटकी की थी। उसने घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट नहीं की थी। फरियादी ने अपने माता-पिता को फोन का उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट थाने में लेख कराई थी। फरियादी सुजाता ने दिनांक-01.05.2016 को अरजू कठौते निवासी भरवेली के साथ दूसरा विवाह कर लिया है तथा उसके साथ निवास कर रही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उसके इस बात से इंकार किया कि उसका अपनी बुआ की लड़की के साथ अवैध संबंध होने से आहत सुजाता और उसका विवाद हुआ था। उसने इस बात से भी इंकार किया कि फरियादी के साथ उसकी मारपीट हुई थी, जिससे फरियादी को चोट आई थी।

14— फरियादी एवं आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या आरोपी फरियादी सुजाता का पति होकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस संबंध में फरियादी सुजाता अ.सा.1, रामबाई अ.सा.2 जो कि फरियादी की माँ है तथा भोजराज अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इस घटना के पूर्व कभी भी उसकी पुत्री ने आरोपी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह भी प्रकट हो रहा है कि आरोपी एवं फरियादी सुजाता का विवाह लगभग 17 वर्ष पूर्व हुआ था। अभियोजन साक्षी सुजाता अ.सा.1, रामबाई अ.सा.2, भोजराज अ.सा.3 ने स्वीकार किया है कि संतानहीनता के विषय में आरोपी मनोज एवं फरियादी सुजाता के बीच विवाद होता रहता था। पति-पत्नी के बीच में घरेलु बातों को लेकर विवाद होना एक सामान्य बात है,

परंतु इसे प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। स्वतंत्र साक्षी अमरसिंह अ.सा.5, सुशीला मर्सकोले अ.सा.6 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है, उन्होंने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त साक्षी आरोपी मनोज एवं फरियादी सुजाता के घटना के समय के पड़ोसी हैं और उन्हें फरियादी की प्रताड़ना के विषय में कोई भी जानकारी न होना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। फरियादी सुजाता अ.सा.1 ने घटना से पूर्व आरोपी द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दिए जाने के विषय में कुछ नहीं बताया, इसलिए अभिलेख से यह प्रकट नहीं हो रहा है आरोपी द्वारा फरियादी सुजाता को क्रूरता कारित की गई हो, क्योंकि वैवाहिक संबंधों में घरेलू विवाद होना सामान्य बात है, इसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498 ए में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में फरियादी सुजाता अ.सा.1 ने यह कहा है कि दिनांक-16.12.2012 को उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी और उसका गला दबाया था। इसके पश्चात् उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और घटना की रिपोर्ट अगले दिन थाना बैहर में लेख कराई थी। फरियादी सुजाता अ.सा.1 के कथनों का समर्थन रामबाई अ.सा.2 एवं भोजराज अ.सा.3 ने भी किया है और कहा है कि उनकी पुत्री द्वारा आरोपी द्वारा मारपीट किये जाने वाली बात फोन से बताई थी और घटना की रिपोर्ट घटना के अगले दिन थाना बैहर में दर्ज कराई गई थी। यह बात प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट से प्रकट हो रही है। प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दिनांक-17.12.2012 को दर्ज कराया जाना दर्शित है। प्रकरण के विवेचक आर.के.सिंह ठाकुर अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी सुजाता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया जाना प्रमाणित किया है। फरियादी सुजाता का घटना के अगले दिन डॉक्टर एन.एस. कुमरे अ.सा.4 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे अ.सा.4 ने कहा है कि दिनांक-17.12.2012 को उसने आहत सुजाता का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उसके चेहरे पर दाहिनी ओर कंटूजन पाया था। इसी प्रकार का कंटूजन आहत के बाएं तरफ चेहरे पर पाया था एवं प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि आपस में लामा-झूमी में आहत को इस प्रकार की चोट आना संभव है। क्योंकि यह चोट नाखून से आई थी, इसलिए आरोपी के इस कृत्य के विषय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 आकृष्ट हुई है। बचाव साक्षी मनोज कठौते ब.सा.1 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि दिनांक-16.12.2012 को रात्रि 9:00 बजे फरियादी

सुजाता से उसका विवाद अवैध संबंध होने की बात को लेकर हुआ था और दोनों के बीच झूमा-झटकी हुई थी और बीच-बचाव में उसे चोट आई थी। इस प्रकार आहत को चोट आना आरोपी मनोज कठौते ब.सा.1 के कथनों से प्रकट हो रहा है। फरियादी सुजाता अ.सा. 1, रामबाई अ.सा.2, भोजराज अ.सा.3 के प्रतिपरीक्षण में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास इस बिन्दु पर नहीं आया है कि घटना दिनांक को आरोपी मनोज द्वारा फरियादी सुजाता के साथ मारपीट नहीं की गई है। उपरोक्त साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः आरोपी मनोज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट

पुनश्च:-

17— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। घटना अब पुरानी हो गई है। आरोपी तथा फरियादी का आपस में विवाह-विच्छेद हो चुका है और उनके मध्य अब कटुता नहीं हैं। अतः आरोपी को सरल दंड दिया जावे।

18— आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 1,000/-रुपये अर्थदंड दिया जाता है। अर्थदंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को सात दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19— प्रकरण में आहत सुजाता को जुर्माने की राशि में से रुपये 200/-प्रतिकर स्वरूप अंतर्गत धारा 357(ख) द.प्र.सं.0 अपील अवधि पश्चात प्रदान किया जावे।

20— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

- 21— आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 22— आरोपी को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान की जावे।
- 23— प्रकरण में जप्तशुदा विवाह कार्ड एवं फोटो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, म0प्र0

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)